**भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद**

**अंसारी नगर, नई दिल्ली-29**

**(हिन्दी अनुभाग)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सं. 20/1/87-हिन्दी

दिनांकः 01.04.2019

**कार्यालय ज्ञापन**

विषयः सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाएं।

परिषद के महानिदेशक सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिषद मुख्यालय में तीन प्रोत्साहन योजनाएं वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए लागू करते हैः

1. **परिषद मुख्यालय की योजनाः** इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) कम से कम 30,000 शब्द हिन्दी में लिखने होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

|  |  |
| --- | --- |
| **प्रथम पुरस्कार (दो)** **=** | **प्रत्येक 5000/- रुपये** |
| **द्वितीय पुरस्कार (तीन) =** | **प्रत्येक 4000/- रुपये** |
| **तृतीय पुरस्कार (पांच)**  **=** | **प्रत्येक 3000/- रुपये** |

1. **भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित प्रोत्साहन योजनाः** यह योजना भी वर्ष 2019-20 के लिए लागू की जा रही है। इस योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को एक वर्ष में (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) कम से कम 20,000 शब्द हिन्दी में लिखने होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

|  |  |
| --- | --- |
| **प्रथम पुरस्कार (दो)** **=** | **प्रत्येक 5000/- रुपये** |
| **द्वितीय पुरस्कार (तीन) =** | **प्रत्येक 3000/- रुपये** |
| **तृतीय पुरस्कार (पांच)** **=** | **प्रत्येक 2000/- रुपये** |

3**. परिषद की तकनीकी योजनाः** उक्त दोनों प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा, परिषद के वैज्ञानिक प्रभागों के कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2019-20 के लिए लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत परिषद के वैज्ञानिक प्रभागों में कार्यरत कर्मचारियों को एक वर्ष में (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक**)** कम से कम 5000 शब्द हिन्दी में लिखने होंगे। इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

**10 पुरस्कार = प्रत्येक 2000/- रुपये**

क्रमशः …..2

-2-

यदि उक्त योजना के अंतर्गत तकनीकी प्रभागों से कार्य की जांच करवाने वाले या इस योजना की शर्तों के अधीन काम नहीं करने वाले कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते है, तो इस योजना के पुरस्कार अन्य प्रभागों/अनुभागों के कर्मचारियों को दे दिये जाएंगे।

4. इन प्रतियोगियाओं में परिषद मुख्यालय के वे सभी स्थाई अधिकारी / कर्मचारी (हिन्दी कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) भाग ले सकते हैं, जिनसे सरकारी कामकाज में टिप्पण / आलेखन की अपेक्षा की जाती है। वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभागी अपने किए गए कार्य का विवरण अपने उच्चाधिकारी / प्रशासन अधिकारी के माध्यम से हिन्दी अनुभाग को भेजेंगे। कार्य का मूल्यांकन इस निमत गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

(केश राज मीना)

सहा. निदेशक (रा.भा.)

कृते महानिदेशक

**वितरणः-**

1. महानिदेशक कार्यालय
2. अपर महानिदेशक कार्यालय
3. वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) कार्यालय
4. वरि. वित्त सलाहकार कार्यालय
5. सभी प्रभाग प्रमुख
6. सहा. महानिदेशक (प्रशा.) (श्रीमती खलखो) और (श्री आर. आर. सिंह)
7. सभी वरि. प्रशा. / लेखा अधिकारी / प्रशा. / लेखा अधिकारी
8. समस्त प्रभाग / अनुभाग
9. सूचना पट्ट
10. आईएसआरएम - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. संयुक्त निदेशक (रा.भा.), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

निर्माण भवन, नई दिल्ली - सूचनार्थ